कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,टोंक

पता– रोडवेज बस डिपो के पास हिमालय बेकरी के सामने जिशिअ.मा.टोंक कार्यालय जिला टोंक 304001
दूरभाष :– 01432–243421 E-Mail: ictcelltonk@gmail.com

क्रमांकः– जिशिअ/मुमा/टोंक/ सामान्य–2/2024/495 दिनांक :– 24/06/2024

मदरलैंड चिल्ड्रन एकेडमी
सेकेंडरी स्कूल टोंक

विषय :–गैर सरकारी विद्यालय मदरलैंड चिल्ड्रन एकेडमी सेकेंडरी स्कूल टोंक आरटीई सचांलन बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लैख है कि विद्यालय के पत्रांक 388 दिनांक 20.06.2024 के अनुसार लैख है कि मदरलैंड चिल्ड्रन एकेडमी सेकेंडरी स्कूल टोंक पीएसपी कोड 44023 मान्यता आदेश क्रमांक जिशिअ/मा/मान्यता/गैर सरकारी/सामान्य–4/2010–11/2682 दिनांक 08.06. 2010 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) संचालित की जा रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक टोंक
दिनांक :–

क्रमांकः– जिशिअ/मुमा/टोंक/ सामान्य–2/2024/
प्रतिलिपि :–

1 श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2 श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा टोंक।
4. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक टोंक

प्रारूप–2

{ नियम 8–क उप–नियम (4) देखिए }

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :जिशिअ / प्राशि / टोंक / आरटीई मा0 / 2013–14 / 2682 दिनांकः– 5.8.2013

अध्यक्ष / प्रबंधक,प्रबंध समिति

मदरलैण्ड चिल्ड्रस एकेडमी मा0वि0 (अंग्रेजी माध्यम) टोंक

विषयः–, नियम 8–क के उप–उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन 28.02.2012 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चायवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के सन्दर्भ में **मै मांगीलाल महावर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा टोंक** (विद्यालय का नाम और पता) मदरलैण्ड चिल्ड्रन्स एकेडमी मा0वि0 टोंक को आज दिनांक 31.3.2013 से 31.03.2015 तक की कालावधि के लिए प्रारंभिक कक्षाओं (1 से 8) के लिए मान्यता मंजूर करता हूं। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे 1. मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रिय अधिनियम सं0 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपलब्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय स्तर, कक्षा–1 में या, अथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के की छात्र– संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालको को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपलब्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नही बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपलब्धों का पालन; करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा। किः–

i. विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा मे रोका या विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

ii. कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पत्रा नही होगा।

iii. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उतीर्ण करना अपेक्षित नही होगा।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

v. 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों का सम्मलित किया जाये।

vi. अध्यापक 2002 के अधीनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनत्म अर्हताओं, सहित भर्ती किये जाये। परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐ, नही रखते है। वें 2009 के अधिनियम की धारा 23 परन्तुक के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

vii. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है, और अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन कियाकलापों में नही लगायेगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेगे।
8. विद्यालय 2009 की अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाए निम्नानुसार है।

(शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य नियम 2011 के अनुसार आपके विद्यालय में 31.03.2015 तक मानवीय संसाधन पूर्ण करने होंगे । अन्यथा आपकी मान्यता निरस्त कर दी जावेगी।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाऐ या खेल मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के परियोजन के लिए उपयोग में लिए जायेगें।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28),के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा। और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा।प्रत्येक लेखा विवतरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगा।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या– **TNK2013477**है। कृपया इसे नोट किया जायें। और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जायें।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा। जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण यदि कोई हो, सुनिश्चित करे।
17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक

क्रमांक :जिशिअ / प्राशि / टोंक / आरटीई मा0 / 2013–14 / 2683–88 दिनांकः– 5.8.2013

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् निजी सचिव, निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक (आर.टी.ई.) निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
3. श्रीमान् उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर।
4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.......................................।
6. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक

सत्य प्रतिलिपि

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा टोंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक–शिक्षा, टोंक

कार्यालय आदेश

मान्यता हेतु आदेश

संस्था का नाम व पता मदर लेण्ड चिल्ड्रन एकेडमी टोंक को

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम–1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र 2004 – 2005 से ~~प्राथमिक~~ / उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी ~~(हिन्दी माध्यम)~~ की मान्यता प्रदान की जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरित स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रदद् की जा सकती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक

क्रमांकः जि.शि. अ./ प्रार./टोंक/सा–2/मान्यता/ 2370 दिनांक 22-4-2004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक।
4. सम्बधिंत संस्था प्रधान / सचिव मदर लेण्ड चिल्ड्रन एकेडमी टोंक
5. कार्यालय रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक

Principal
Motherland Childern Academy
Sec.School, Tonk (Raj.)

Secretary
Motherland Education Society
Tonk (Raj.)

Principal
Motherland Childern Academy
Sec.School, Tonk (Raj.)

Secretary
Motherland Education Society
Tonk (Raj.)